राजस्थान सरकार

शिक्षा प्रारम्भिक विभाग

क्रमांकः प.5(8)प्राशि/2016

जयपुर दिनांक 06.07.16

1 निदेशक, राज प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2 निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3 समस्त जिला कलक्टर
4 समस्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयो के अधिशेष तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षको के समायोजन /पदस्थापन के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– इस विभाग का संमसंख्यक पत्र दिनाक 21.04.16, 10.06.16, 24.06.16 एवं 05.07.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रो के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 7009/2016 महेशचन्द एवं अन्य बनाम सरकार में दिनांक 22.06.16 द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण, प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयो में मानदण्डानुसार शारीरिक शिक्षको के पदो के निर्धारण एवं समानीकरण के फलस्वरूप अधिशेष शारीरिक शिक्षको को काउन्सलिंग हेतु निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया था, केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त 3B में दर्ज किये गये अधिशेष शारीरिक शिक्षको का समायोजन काउन्सलिंग के माध्यम से दिनांक 09 एवं 10.07.2016 को किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

श्री पी.एस. भाटी अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 06.07.2016 द्वारा विभाग को अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.07.2016 के आदेश द्वारा दिनांक 22.06.16 को जारी स्थगन आदेश को वेकेट (Vacate) कर दिया है।

स्थगन आदेश वेकेट (Vacate) किये जाने की स्थिति के फलस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयो में मानदण्डानुसार शारीरिक शिक्षको के पदो के निर्धारण एवं समानीकरण के फलस्वरूप अधिशेष प्रारम्भिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षको के समायोजन/पदस्थापन हेतु भी काउन्सलिंग की जानी है।

अतः माध्यमिक शिक्षा से प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त अधिशेष शारीरिक शिक्षको तथा प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयो में मानदण्डानुसार शारीरिक शिक्षको के पदो के निर्धारण एवं समानीकरण के फलस्वरूप अधिशेष शारीरिक शिक्षको की सम्मिलित (कॉमन) वरीयता सूची बनाई जाकर शासन के संमसंख्यक पत्र दिनांक 21.04.2016 द्वारा जारी निर्देशानुसार इनका प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत विद्यालयो में समायोजन/पदस्थापन हेतु काउन्सलिंग दिनांक 09 एवं 10.07.2016 के स्थान पर दिनांक 16.07.2016 को किया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

ह0

(अनिल कुमार कौशिक)

शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/नि.अनु/नि–1/सैट–अप/2016

दिनांक 07.07.2016

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
2 समस्त जिला कलक्टर,
3 उपायुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
5 उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा – समस्त।
6 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा – समस्त।
7 समस्त प्रभारी अधिकारी।

अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन)

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर